न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 198 सन 2021

अनवान :–

1. कालुराम पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. दाताराम पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. विकास कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. हरदतसिह पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 09/07/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 98/75 की कुल 1.6320हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से दर्ज है तथा चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 231/225 की कुल 0.7590हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के नाम से दर्ज है इसी प्रकार रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 326/330 की कुल 3.5420हैक भूमि वादीगण एवं खाता संख्या 617/586 की कुल 0.5060हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम से दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है वाद भूमि जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है अलग अलग टूकडों में है इसलिये काश्त करने में परेशानी होती है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने आपसी सहमति से वाद भूमि का काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 2 में दर्ज वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही हे जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के मध्य हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 2 मे दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वादीगण एवं प्रतिवादीगण एंक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से वाद भूमि का बटवारा किया गया था बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है वादीगण एवं प्रतिवादी के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 98/75 की कुल 1.6320हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से दर्ज है तथा चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 231/225 की कुल 0.7590हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के नाम से दर्ज है इसी प्रकार रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 326/330 की कुल 3.5420हैक भूमि वादीगण एवं खाता संख्या 617/586 की कुल 0.5060हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम से दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है वाद भूमि जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है अलग अलग टूकडों में है इसलिये काश्त करने में परेशानी होती है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने आपसी सहमति से वाद भूमि का काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 2 में दर्ज वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही हे जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 98/75 की कुल 1.6320हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से दर्ज है तथा चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 231/225 की कुल 0.7590हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के नाम से दर्ज है इसी प्रकार रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 326/330 की कुल 3.5420हैक भूमि वादीगण एवं खाता संख्या 617/586 की कुल 0.5060हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम से दर्ज है।

वादीगण का कथन है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की भूमि टूकडों में है इसलिये काश्त की सूविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 2 के अनुसार है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 भूमि काश्त करते आ रहे है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य आपसी सहमति से हुए

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो एक ही परिवार के सदस्य है काश्त की सूविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा करने के अधिकारी है और बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में आपसी सहमति से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 231/225 की कुल 0.7590हैक भूमि में विकाश कुमार व हरदतसिह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा चक 6 बारानी के खाता संख्या 617/586 की कुल 0.5060हैक भूमि धर्मपाल व हरदतसिह के नाम दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसीप्रकार रोही मोजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 98/75 के प0न0 312/397(1) के किला न0 1 ,10 ,11 कुल 0.7590हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को खातेदार काश्तकार एवं रोही मोजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 326/330 के प0न0 311/397(1) किला न0 17 ,18 की कुल 0.4997हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ,3 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प0न0 311/397(1) किला न0 18 में पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 2 बिश्वा (0.0063) हैक भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कालुराम पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. दाताराम पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. विकास कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. हरदतसिह पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 198 सन 2021 निर्णय दिनांक– 09/07/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 231/225 की कुल 0.7590हैक भूमि में विकाश कुमार व हरदतसिह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा चक 6 बारानी के खाता संख्या 617/586 की कुल 0.5060हैक भूमि धर्मपाल व हरदतसिह के नाम दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसीप्रकार रोही मोजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 98/75 के प0न0 312/397(1) के किला न0 1 ,10 ,11 कुल 0.7590हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को खातेदार काश्तकार एवं रोही मोजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 326/330 के प0न0 311/397(1) किला न0 17 ,18 की कुल 0.4997हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ,3 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प0न0 311/397(1) किला न0 18 में पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 2 बिश्वा (0.0063) हैक भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/07/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर